बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/एम1–197/2014 पटना, दिनांक

विषयः– राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत/संबंद्ध महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्क्रमों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क नही लिए जाने की स्वीकृति के साथ–साथ विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों को इस कारण से होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति, विश्वविद्यालयों से वास्तविक सूचना प्राप्त कर क्षति होने वाले वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यहाँ उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। महिलाओं का तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात अप्रत्याशित रूप से कम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सम्यक्रूप से समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत/संबंद्ध महाविद्यालयों में सामान्य पाठ्क्रमों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के समय सभी प्रकार के शुल्क, नही लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उपर वर्णित शुल्कों के नहीं लिऐ जाने के कारण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को होने वाली आर्थिक क्षति की वास्तविक गणना प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में होने वाले नामांकन के आधार पर की जायेगी तथा गणना के पश्चात् राशि की प्रतिपूर्ति, क्षति होने वाले वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को की जायेगी। राशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु प्रकिया का निर्धारण विभाग द्वारा अलग से किया जायेगा।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/एम1–197/2014 पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 सहित बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/एम1–197/2014 पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/एम1–197/2014 पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपिः– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या :– 15/एम1–197/2014 – 1457 पटना, दिनांक 24/7/15

प्रतिलिपिः– निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा/अवकाश रक्षित पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/विशेष कार्यक्रम पदाकिधकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी – 14 एवं 15 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/7/15
सरकार के संयुक्त सचिव
S Singh